



Neutral Citation No. - 2026:AHC:173805

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7818

सन् 2026

सुरेंद्र सिंह

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

राघव देव गर्ग, यशस्वी अग्रवाल

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राघव देव गर्ग के सहयोग से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्वेताश्व अग्रवाल और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0301 सन् 2026, अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3) और 340(2) बी.एन.एस., 2023, थाना - चकेरी, कमिश्नरेट कानपुर नगर में इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि उस समय आवेदक एस.जे.वी.एन.ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में जनरल मैनेजर और प्रोजेक्ट हेड थे, जो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। आवेदक पर आरोप है कि उन्होंने दस्तावेजों में हेराफेरी की और अपनी पत्नी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को 'नरेंद्र' की पत्नी बताकर उनके नाम पर पट्टा आवंटित करा लिया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पट्टा के दस्तावेजों में गलती का पता चलने के दो महीने बाद कंपनी को नोटिस दिया गया था। छह महीने बाद वह पट्टा रद्द कर दी गई। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि भले ही पट्टा के किराए के तौर पर कुछ रकम मिली है, लेकिन संबंधित जगह का इस्तेमाल किया जा रहा था और कंपनी को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि आवेदक को अब निलंबित कर दिया गया है और अगर कोई अपराध हुआ भी है, तो वह दस्तावेजी सबूतों से जुड़ा है, जो पहले से ही पुलिस के पास मौजूद हैं। अब हिरासत में पूछताछ या बरामदगी के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2025 को **एस.एल.पी. (आपराधिक) संख्या 354 सन् 2026 से उत्पन्न आपराधिक अपील (प्रदीप एन. शर्मा बनाम गुजरात राज्य एवं एक अन्य)** में पारित निर्णय पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि जब सबूत पूरी तरह से दस्तावेजी हों और आवेदक की कोई सीधी शारीरिक भूमिका न हो, तो उन्हें अग्रिम जमानत देने पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें हिरासत में लिए बिना भी सरकारी अभिलेख की जांच की जा सकती है। आखिर में, यह तर्क दिया गया कि आवेदक का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। हालांकि, इस प्रकरण में शामिल होने के बाद कानपुर ज़िला न्यायालय के एक अधिवक्ता ने आवेदक और उनकी पत्नी के खिलाफ एक और प्रकरण दर्ज कराया है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक ने अपनी पत्नी द्वारा अचल संपत्ति हासिल करने की बात नहीं बताई, जैसा कि कानून के तहत ज़रूरी है। पट्टा विलेख गलत बहाने से बनाई गई थी, जिसमें आवेदक की पत्नी को 'नरेंद्र' की पत्नी के तौर पर दिखाया गया था। पट्टा विलेख बनने के दो महीने बाद इसे निरस्त करने का नोटिस देने भर से आवेदक और सह-अभियुक्त, उसकी पत्नी इस अपराध से बरी नहीं हो जाते। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, ने यह भी कहा है कि आवेदक की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिया गया उदाहरण इस प्रकरण के तथ्यों और हालात पर लागू नहीं होता है और और अग्रिम जमानत हेतु यह प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना चाहिए। हालाँकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, ने आवेदक के



आपराधिक इतिहास के बारे में उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का खंडन नहीं किया है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम है, जो दिनांक 10.05.2026 को दर्ज की गई थी। जिस पट्टा विलेख की बात हो रही है, वह दिनांक 21.11.2024 को बनाई गई थी। आवेदक की पत्नी ने दिनांक 05.02.2025 को पट्टा विलेख निरस्त करने का नोटिस दिया था, जिसे नकारा नहीं गया है। आवेदक को उसकी नौकरी से निलंबित भी कर दिया गया है और उसके खिलाफ जांच चल रही है। न्यायालय की शुरुआती राय में, एक बार जब आवेदक निलंबित हो जाता है, तो वह अभिलेख के साथ छेड़छाड़ करने या पुलिस द्वारा दस्तावेज़ी सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया को किसी भी तरह से प्रभावित करने की स्थिति में नहीं रहता है। सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रदीप एन. शर्मा (उपर्युक्त)** प्रकरण में प्रस्तर संख्या 18 में निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया है:

"हालांकि, आरोपों की प्रकृति और इस तथ्य को देखते हुए कि प्रकरण की जांच मुख्य रूप से दस्तावेज़ी सबूतों के आधार पर की जानी है, न्यायालय अपीलकर्ता को अग्रिम जमानत देने के पक्ष में है। कथित अपराध किसी ऐसे आपराधिक कृत्य में सीधे शारीरिक रूप से शामिल होने के बजाय, आदेश पारित करने में प्रशासनिक विवेक के इस्तेमाल से संबंधित हैं, जिसके लिए हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत हो। अभियोजन पक्षकार ने आधिकारिक अभिलेख की जांच के अलावा अपीलकर्ता से हिरासत में पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं दिखाई है, और यह काम उसे हिरासत में लिए बिना भी किया जा सकता है। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने जांच में सहयोग करने की इच्छा जताई है, और इस न्यायालय के सामने ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं की गई है जिससे यह पता चले कि उसने किसी भी तरह से जांच से बचने या उसमें बाधा डालने की कोशिश की है। साथ ही, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अग्रिम जमानत तब दी जा सकती है जब हिरासत में पूछताछ ज़रूरी न हो, खासकर उन प्रकरणों में जहां आरोप आधिकारिक अभिलेख पर आधारित हों और अभियुक्त की मौजूदगी को बिना पूर्व-विचारण हिरासत के सुनिश्चित किया जा सके। न्यायालय इस तथ्य पर भी ध्यान देता है कि संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट अपीलकर्ता के



खिलाफ़ इसी तरह के आरोपों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, और सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना का संकेत देने वाली कोई ठोस सामग्री न होने के कारण, अग्रिम ज़मानत देना उचित है। इसलिए, जबकि अपीलकर्ता को ज़रूरत पड़ने पर विवेचना में सहयोग करना होगा, उसे हिरासत में नहीं लिया जाएगा, बशर्ते वह विवेचना प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बाद में लगाई जाने वाली शर्तों का पालन करे।"

7. इसी तरह, अभिलेख पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि आवेदक ने जांच से बचने की कोशिश की है या जांच में सहयोग नहीं किया है। न्यायालय की राय में, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, अग्रिम ज़मानत देने के लिए प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है।

8. आवेदक का अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. यदि उक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक- **सुरेंद्र सिंह** को गिरफ़्तार किया जाता है, तो उसे संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-

- i. जब भी ज़रूरत हो, आवेदक पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए हाज़िर होगा।
- ii. आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा या उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।

10. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

18 अगस्त, 2026

कुशल

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।